न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 10 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. लालाराम पुत्र नीम्बाराम
2. जोधाराम पुत्र नीम्बाराम
3. दीपाराम पुत्र निम्बाराम
4. मंगलाराम पुत्र नीम्बाराम
5. पूराराम पुत्र केहराराम
6. आदाराम पुत्र केहराराम
   छगनाराम पुत्र केहराराम
7. नीम्बाराम पुत्र खुशालाराम
8. राणाराम पुत्र खुशालाराम
9. गिरधारी पुत्र खुशालाराम
   जाति भाम्भी निवासी
   डेडावास जागीर तहसील
   गुड़ामालानी जिला
   बाड़मेर राज.

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.दुर्गाराम पुत्र पदमाराम फौत के
कायम मुकाम1 / 1भीखाराम पुत्र दुर्गाराम
1 / 2गंगाराम पुत्र दुर्गाराम
1 / 3धनाराम पुत्र दुर्गाराम
1 / 4हिन्दुराम पुत्र दुर्गाराम
1 / 5ताराराम पुत्र दुर्गाराम जाति
निवासी डेडावास जागीर तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2.पनाराम पुत्र रूगाराम
3.भगाराम पुत्र रूगाराम
4.छोगाराम पुत्र रूगाराम
5.ज्वाराराम पुत्र दजाराम
6.अदाराम पुत्र दजाराम
7.वीरमाराम पुत्र दजाराम.
8.बाबूलाल पुत्र दजाराम
9.तगी देवी पत्नी दजाराम
10.वाला पुत्र चौथा
11.भावा पुत्र चौथा
12.छोगा पुत्र चौथा
13.भगवाना पुत्र चौथा जाति भाम्भी
निवासी डेडावास जागीर तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
14.जैसाराम पुत्र धूखाराम
15.जबराराम पुत्र धूखाराम
16.नैनू पत्नी प्रतापाराम जाति पुरोहित
निवासी डेडावास जागीर तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
18.होती पुत्र सवा
19.रतना पुत्र अमरा
20.चेतन पुत्र मगा
21.हीरा पुत्र मगा
22.पूनमा पुत्र पदमा
23.सवाराम पुत्र सुखाराम जाति
कुम्भार निवासी डेडावास जागीर
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
24.शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ
बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर राज.
25.शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक
शाखा गुड़ामालानी जिला बाड़मेर राज.
26.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
गुड़ामालानी।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 15/2017 बअनवान दुर्गाराम बनाम लालाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 29.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण संख्या 01/रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि राजस्व गांव डेडावास जागीर में खेत खसरा संख्या 193 रकबा 40.19 बीघा का आया हुआ है। उक्त आराजी में आने जाने हेतु राजकीय कटाण मार्ग नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। हमारे पड़ौस के खेत खसरा संख्या 197, 201, 191 में से ही आ जा सकते है। इसे राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अभलिखित करावें। अपीलांटगण संख्या 01 से 10 और अन्य उतरदातागण संख्या 02 से 26 को जरिये नोटिस तलब करने हेतु पेशी तारीख 07.04.2017 रखी गई। पेश तारीख 07.04.2017 को अपीलांटगण व अन्य के नोटिस तामील व अदम तामील प्राप्त नहीं हुए। पुनःनोटिस जारी करने का आदेश देकर पत्रावली दिनांक 15.05.2017 को रखी गई और उसी दिन एकतरफा मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु तहरीर जारी कर दी गई। पेशी तारीख दिनांक 15.07.2017 की कोई आदेशिका नहीं लिखी गई और बिना आदेशिका लिखे ही पत्रावली सीधे ही दिनांक 26.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रतनपुरा रख दी गई और अपीलांटगण और उतरदातागण संख्या 02 से 26 के नोटिस पुनः पेश नहीं होने के उपरांत भी पेशी तारीख 07.04.2017 के नोटिस तामीली मानकर एकतरफा मौका रिपोर्ट पर अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 26.05.2017 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनीं गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण संख्या 01 से 10 और अन्य उतरदातागण संख्या 02 से 26 को जरिये नोटिस तलब करने हेतु पेशी तारीख 07.04.2017 रखी गई। पेश तारीख 07.04.2017 को अपीलांटगण व अन्य के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नोटिस तामील व अदम तामील प्राप्त नहीं हुए। पुनःनोटिस जारी करने का आदेश देकर पत्रावली दिनांक 15.05.2017 को रखी गई और उसी दिन एकतरफा मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु तहरीर जारी कर दी गई। पेशी तारीख दिनांक 15.07.2017 की कोई आदेशिका नहीं लिखी गई और बिना आदेशिका लिखे ही पत्रावली सीधे ही दिनांक 26.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रतनपुरा रख दी गई और अपीलांटगण और उतरदातागण संख्या 02 से 26 के नोटिस पुनः पेश नहीं होने के उपरांत भी पेशी तारीख 07.04.2017 के नोटिस तामीली मानकर एकतरफा मौका रिपोर्ट पर अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 26.05.2017 को पारित किया गया। अपीलांटगण के नोटिस पर तामिली कुनिन्दा सवार ने अपीलांटगण द्वारा नोटिस लेना इंकार अंकित किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सवार की स्वयं द्वारा परीक्षा नहीं की और न ही उक्त सवार से उसका शपथ–पत्र ही ऐसी तामिली बाबत प्राप्त किया और उपरोक्त नोटिस पर दो मौतबिरों के सत्यापन नहीं होकर केवल एक मौतबिर द्वारा सत्यापन किया गया है, उपरोक्त परिस्थति में आदेश 05 नियम 17 व 19 सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के सम्मनों व नोटिसों पर अंकित तथ्यों को मानकर पर्याप्त तामिली होना माना है जो उपरोक्त आदेश व नियमों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी जोत राजस्व गांव डेडावास जागीर में खेत खसरा संख्या 193 रकबा 40.19 बीघा में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित समझते है। अपीलांट के वकील ने मियाद के बिंदु पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन एकतरफा निर्णय का अपीलांटगण को इतने दिनों तक कोई ज्ञान नहीं हुआ। दिनांक 19.02.2019 को अपीलांटगण को उतरदाता संख्या 01 ने अपने पक्ष में विवादित निर्णय होने का कहकर बेदखल करने की धमकियां दी तब अपीलांट ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पटवारी हल्का से अपने खेत की जमाबन्दी व नक्शा की नकल मांगी और उसके पश्चात दिनांक 20.02.2019 को नकल मिली तथा जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील को पेश करने में सद्‌भाविक रूप से हुए विलंब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध अपील दिनांक 25.02.2019 को पेश की गई जो तकरीबन 01 साल 09 माह बाद पेश की गई। जो की अत्यधिक विलंब से पेश की गई। तथा 01 साल 09 माह साल के विलंब को Explain नहीं किया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्‌भाविक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज की जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुचे कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। तथा 01 साल 09 माह की देरी को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि पत्रावली पर मैरिट की बहस भी सुनी जा चुकी है। अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर भी करना उचित होगा।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट पक्ष के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के संबंध में किये गए आक्षेपों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट/विप्रार्थीगण को जारी सम्मन दो स्वतंत्र मोतबिरान की उपस्थिति में परिदत्त करने पर <u>"लेने से इंकार"</u> की रिपोर्ट होने से सम्मक तामील है। इसके पश्चात मामला लोक अदालत कैम्प रतनपुरा में रखे जाने बाबत जारी नोटिस में भी अपीलांट पक्ष को सूचना पटवारी हल्का द्वारा दी गई। अपीलांट संख्या 01 की सूचना उसके पुत्र गोरधनराम को दी जाकर उसके हस्ताक्षर किये गए। शेष की सूचना आबाद मकान पर चस्पा की गई। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय एकतरफा नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में प्रदत्त रास्ता के संबंध में मौका रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 22.05.2017, जो तहसीलदार गुडामालानी के पत्र क्रमांक भू.अ./लो.अ./2017/02 दिनांक 26.05.2017 द्वारा कैम्प रतनपुरा में पेश हुई, का अवलोकन किया जिसके बिंदु संख्या 01 में यह स्पष्ट किया गया है कि <u>"प्रार्थी दुर्गाराम पुत्र पदमाराम के सहखातेदारी खेत खसरा संख्या 193 रकबा 40.19 बीघा ग्राम डेडावास जागीर में सरकारी कटाण मार्ग से अपने खेत तक पहुंचने का विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 197, 201 ग्राम डेडावास का गोलिया व खसरा संख्या 195, 191 ग्राम</u>

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

डेडावास जागीर में से होकर गुजरना आवागमन हेतु इकलौता विकल्प है, इसके अलावा कोई नजदीकी विकल्प नहीं हैं।" अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण किया गया इसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं पाई जाने में इसमें किसी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है।

लिहाजा अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 15/2017 बअनवान दुर्गाराम बनाम लालाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2017 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते को सार्वजनिक आवागमन हेतु खुलवाकर सुचारू करे।

29/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner